बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

सं०सं०-स्था०1/13-14/98 /पटना, दिनांक

प्रेषक,

पूनम(भा०प्र०से०),
निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,
गया।

विषयः- वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना के अंकेक्षण पतिवेदन संख्या-289/91-92 के अनुपालन हेतु की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंगः- निदेशालय के पत्रांक 366 दिनांक 28.02.1995, 1586 दिनांक-10.06.1996, 569 दिनांक 21.02.98, 1025 दिनलांक 11.04.1998, 189 दिनांक 02.02.2000, 1486 दिनांक 27.06.2000, 2033 दिनांक 13.08.2003, 561 दिनांक 15.03.2004, 1623 दिनांक 30.07.2007, 1623 दिनांक 30.07.07, 1974 दिनांक 24.09.2009, 113 दिनांक 15.01.2010, 369 दिनांक 17.02.2010, 1408, दिनांक 14.07.2011, 1636 दिनांक 19.08.2016, 2320 दिनांक 18.11.2016 775 दिनांक 25.04.2017, 1669 दिनांक 28.07.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का अवलोकन करें। बार-बार स्मारित करने के बावजूद वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा किए गये निरीक्षण (प्रतिवेदन सं०-289/91-92) का 23 वर्ष में अनुपालन नहीं किया जाना घोर लापरवाही एवं सरकारी कार्यो के निष्पादन में अकर्मण्यता का परिचायक है।

विदित हो कि वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन (सं० 289/91-92), अनुपालन हेतु सीधे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, गया को प्रेषित किया गया था एवं उसके अनुपालन हेतु निदेशालय द्वारा 1995 से लगातार स्मारित किया गया। साथ ही राज्यस्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक में इसकी समीक्षा की जाती रही। परन्तु निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित आपत्तियों/कंडिकाओं में से किसी का भी निष्पादन नहीं होने से स्पष्ट है कि इसके लिए जिला सांख्यिकी पदाधिकारी गया द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यही कारण है कि आपने अपने पत्रांक 735 दिनांक 13.09.2017 द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में लिए गए अग्रिम का समायोजन नहीं कराने वाले

तत्कालीन पदाधिकारियों/कर्मियों के वर्त्तमान पदस्थापन/स्थायी पता की मं · की गई है।

अतएव अंकेक्षण प्रतिवेदन (सं०289/91-92) के अनुपालन हेतु प्रारम्भ से लेकर अभी तक की गई कार्रवाई का ब्योरा निम्न प्रोफार्मा में उपलब्ध करावें ताकि दोषी पदाधिकारी/कर्मी पर दण्डात्मक कार्रवाई की जा सके।

क्र. सं.	अंकेक्षण/ आपत्ति का कंडिका सं०	अनुपालन हेतु की गई कार्रवाई का ब्योरा (साक्ष्य सहित)	कार्रवाई/अनुपालन करने वाले तत्कालीन पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अनुपालन करने हेतु कार्रवाई नहीं करने वाले प्रारम्भ से अभी तक पदस्थापित पदा०/कर्मी का नाम	
				जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का नाम (अवधि सहित)	लेखापाल/ रोकड़ पाल का नाम (अवधि सहित)
1	2	3	4	5	6

विश्वासभाजन
ह०/-
निदेशक

ज्ञापांकः- 2185 /पटना, दिनांक 06.10.17

प्रतिलिपिः- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सुदामा प्रसाद, आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेश है कि इस पत्र को सभी संबंधितों के ई०-मेल पर भेजते हुए निदेशालय के वेब साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निदेशक

86, Binod, 03.10.2017